

25 ⁰⁷/₂₄

पत्रावली पैरा हुई। कुलाय उप।

वहस कुलाय सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध
रेकॉर्ड के अध्ययन व कुलाय की वहस पर
मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार
किन्ना जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा
गया। आदेश में TDR वाली व समस्त
संबंधित को पालनार्थ भिजवाए जावे। पत्रावली
फॉसल शुमार हैबर नम्बर से कम हो।

न्यायालय

राजस्थान हाईकोर्ट नम्बर 6
वाकरा लिटिगे 2103-2021
आदेश लिटिगे 25
प्राथी -



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 116

दायरा तिथि : 21.03.2024

आदेश तिथि : 25-07-2024

प्रार्थी :-

श्री छगनलाल पुत्र मांगीलाल जाति सरगरा निवासी खिमेत तहसील बाली जिला पाली (राज.)

व न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकॉर्ड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 25-07-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 संपटित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोटार पटवार हल्का कोटार तहसील बाली के खसरा नंबर 640 रकबा 0.2900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोटार तहसील बाली के खसरा नंबर 639 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 630 रकबा 1.6600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेंक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 संपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एव इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भूअ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/358 दिनांक 21.05.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भूअ. निरीक्षक नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोटार में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 640 रकबा 0.2900 हैक्टर है। उक्त भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में आवेदक आवागमन के लिए इसी रास्ते का उपयोग कर रहा है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता कटान मार्ग खसरा नंबर 631 से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि ग्राम कोटार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	630	1.6600 हैक्टर	बारानी सोयम	126x9= 1134 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	639	0.6900 हैक्टर	बारानी सोयम	85x9= 765 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भू-भाग के खसरा नंबर की डी.एल.सी. दर 294481 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता सहायक कलक्टर एवं विवेकाने बाबत अनुशंघा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व उपखण्ड अधिकारी, बाली सरकार की वहास सुनी गई।

पेज लगातार.....02

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व ककुलाय की बहस पर मनन के परवात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोटार पटवार हल्का कोटार तहसील वाली के खसरा नंबर 640 रकबा 0.2900 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, वाली द्वारा जाय के परवात् अपने कार्यालय पत्राक राजस्व/2024/358 दिनाक 21.05.2024 से नया रेकार्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 संपादित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/03/p/7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक प3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनाक 14.08.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोटार पटवार हल्का कोटार तहसील वाली के खसरा नंबर 640 रकबा 0.2900 हैक्टर की भूमि की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोटार तहसील वाली के खसरा नंबर 639 रकबा 0.6900 हैक्टर व खसरा नंबर 630 रकबा 1.6600 हैक्टर में से 1134+765=1899 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, वाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 294481/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
630	1.6600 हैक्टर	126X9= 1134 वर्गमीटर	30	34020 X2=68040	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
639	0.6900 हैक्टर	85X9= 765 वर्गमीटर	30	22950X2=45900	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 1,13,940/- (अक्षरे एक लाख तेरह हजार नौ सौ चालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार वाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, वाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करवाये।

तहसीलदार, वाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/ 926-930

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, वाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, कोटार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील वाली
5. आवेदक श्री छगनलाल पुत्र मांगीलाल जाति सरगरा निवासी खिगेल तहसील वाली जिला पाली को सूचनाार्थ।

(दिनेश बिश्नोई)

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, तहसील वाली
दिनांक 30-07-24

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक उपखण्ड अधिकारी, तहसील वाली